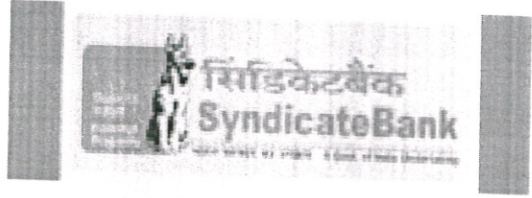


नैगम कार्यालय/Corporate Office
सिंडिकेटबैंक भवन / SyndicateBank Building
दूसरा क्रॉस, गांधीनगर / 2nd Cross Gandhinagar
बेंगलूरु / BENGALURU - 560 009



निवेशक संपर्क केंद्र / Investor Relations Centre

संदर्भ सं/ Ref. No.141/2914/CO/BNG

दिनांक/Date 25.05.2017

The Vice President (Listing)
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), MUMBAI - 400 051

The Vice President - Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, MUMBAI - 400 001

Dear Sir,

Sub: Eighteenth Annual General Meeting of the shareholders of Syndicate Bank

We are pleased to inform you that an Annual General Meeting of shareholders of Syndicate Bank will be held on 23.06.2017 at 10.00 A.M. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Copy of Notice of AGM is enclosed.

Copies of the Annual Report, inter-alia, containing the following will be sent to you in due course:

1. Directors Report
2. Financial statements of the Bank as at 31.03.2017.

This information is given pursuant to Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

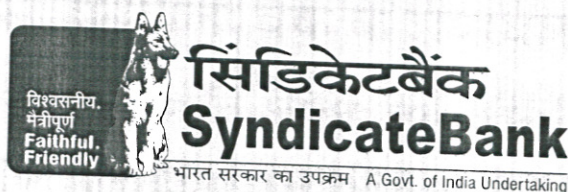
Thanking you,

Yours faithfully,

(T S Kripa Devi)
Company Secretary

23 जून 2017 को
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल - 576 104
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
वार्षिक आम बैठक की सूचना

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED
TO BE HELD ON 23RD JUNE 2017,
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM
MANIPAL - 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104
Head Office : Manipal - 576 104

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली
फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23001153
टोल फ्री सं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: Syndicate Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31 - 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक - कारपोरेट कार्यालय,
2 क्रॉस, गांधीनगर
बेंगलूरु - 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030, फैक्स - 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत: syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104
Head Office : Manipal - 576 104

वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

23.06.2017 मणिपाल/MANIPAL

महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

वार्षिक आम बैठक के लिए ई-वोटिंग की अंतिम तिथि E-Voting Cut-off date for Annual General Meeting.	शुक्रवार/Friday, 16.06.2017
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	शनिवार/Saturday, 17.06.2017
बहियों का समापन Book Closure	शनिवार/Saturday, 17.06.2017 से/to शुक्रवार/Friday, 23.06.2017 तक (दोनों दिवस सम्मिलित /Both days inclusive)
ई-मतदान के शुरू होने एवं बंद होने की तारीख Opening and Closing Date for e-voting	मंगलवार/Tuesday, 20.06.2017 प्रातः 9.00 a.m. बजे से/ to गुरुवार/Thursday, 22.06.2017 शाम 5.00 p.m. बजे तक
वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Annual General Meeting	शुक्रवार/Friday, 23.06.2017 प्रातः 10.00 बजे/a.m.

विषय सूची / Contents

सूचना	4
Notice	5
नोट	6
Notes	6
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	13
Attendance Slip / Entry Pass	14
प्रॉक्सी फार्म	15
Proxy Form	16



सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक (शेयर और बँठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दि. 23.06.2017 को प्रातः 10.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 (कर्नाटक राज्य) में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।

कृते सिंडिकेट बैंक

3/2/17

(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2017



Head Office : Manipal – 576 104

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATE BANK will be held on Friday, 23.06.2017 at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

For SYNDICATE BANK

(Arun Shrivastava)

Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Bengaluru
Date : 25.05.2017

नोट:

- (i) व्याख्यात्मक कथन
बैठक के कारोबार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।
- (ii) प्रॉक्सी की नियुक्ति
बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।
तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंडिकेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।
उक्त विनियमावली 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।
प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 17.06.2017 को कार्यालय समय के भीतर बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
- (iii) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति
कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कॉर्पोरेट, जो कि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 17.06.2017 को कार्यालय समय के भीतर जमा नहीं कर देता/देती।
- (iv) मतदान अधिकार
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, योजना और विनियमावली में किए गए

Notes:

- (i) **EXPLANATORY STATEMENT**
The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
- (ii) **APPOINTMENT OF PROXY**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.
As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
The Proxy form, in order to be effective, must be received at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 17.06.2017.
- (iii) **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 17.06.2017.
- (iv) **VOTING RIGHTS**
In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations

किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियमावली 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम शुक्रवार को यानी 16.06.2017 (निर्दिष्ट तारीख) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है वह कार्यसूची मद पर मत देने के लिए पात्र है।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उस से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और मतदान के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम से है तो केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम पहले है, वह बैठक में भाग लेने और बैठक में मत देने के लिए पात्र है।

(v) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए मुद्रित आवश्यक विवरण सहित ई-मतदान लॉग-इन आई डी एवं पासवर्ड, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों के पास यह विकल्प है कि वे ई-मतदान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपना मतदान कर सकते हैं। जो ई-मतदान सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते वे अपना मतदान, वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक स्थल पर आयोजित मतदान पर कर सकते हैं। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची पर मुद्रित विवरण की जाँच करें तथा खाली जगह, यदि कुछ है तो, भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

(vi) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएँगी। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लाएँ जिसकी प्रति पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक से भेजी गयी है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर भी प्रदर्शित है।

(vii) लेखा विषयक सूचना

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को वार्षिक आम बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधन वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय ही उसके जवाब दिए जायेंगे।

which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who is registered as a shareholder on Friday, i.e. 16.06.2017 (Cut Off Date) is entitled to vote on the agenda item.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

(v) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance slip and fill in the blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

(vi) COPIES OF ANNUAL REPORT

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank's website www.syndicatebank.in.

(vii) INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

(viii) बही बंदी

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी, शनिवार, 17.06.2017 से शुक्रवार, 23.06.2017 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

(ix) लाभांश अधिपत्रों में बैंक खाते का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा (एन ई एफ टी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा (एन ई सी एस):

बैंक, लाभांश भुगतान के लिए भविष्य में, एन एस डी एल/सी डी एस एल में पंजीकृत बैंक खाता विवरण तथा संबंधित डिपोजिटरी से आर टी ए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का प्रयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने डिपोजिटरी सहभागी के यहाँ पंजीकृत बैंक विवरण को अद्यतन करवाएँ। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से प्राप्त किसी भी प्रकार के बैंक विवरण संबंधी परिवर्तनों को बैंक या उनके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट सीधे कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तनों को करने के लिए शेयरधारकों के सिर्फ डिपोजिटरी सहभागी को ही सलाह दी जाए।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार करते समय अपने फोलियो संख्या (जिनके पास शेयर कागजी रूप में हो) तथा डी पी आई डी/क्लाइंट आई डी संख्या (जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक डिमैट रूप में हो) दें।

(x) अंतरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा पैन कार्ड के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

(xi) पते में परिवर्तन

ए) कागजी फॉर्म में शेयर रखना

कागजी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

(viii) BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 17.06.2017 to Friday, 23.06.2017 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

(ix) DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT)/ NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):

The Bank for payment of dividend, in future will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

(x) TRANSFERS

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferor(s) and Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

(xi) CHANGE OF ADDRESS

a) HOLDING OF SHARES IN PHYSICAL FORMS

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेट बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट सं. 31-32, गचीबौली,
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष सं.: 040 67162222 या
040 67161516 (सीधा)

फैक्स सं. 040 23001153
टॉल फ्री नं. 1800-345-4001

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध निर्धारित फॉर्मेट में
पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पते का सबूत
जैसे, नवीनतम दूरभाष बिल/बिजली बिल, पासपोर्ट,
मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ जिसमें पता
हो इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया
जाए। पते में परिवर्तन का फॉर्मेट वार्षिक रिपोर्ट के
साथ संलग्न है।

बी) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में
शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक
केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास
उपलब्ध ब्यौरे जैसे, पता, लाभांश अधिदेश और
बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना
में लेगा।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने
हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी
सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण
इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे
तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि
को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें।

**(xii) बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डीमैट) अनिवार्य
शेयर व्यापार**

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए
निर्देशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक
के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से
अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड
(एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज
(इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के
बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार
किया है।

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: Syndicate Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31 - 32, Gachibowli,
Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)

Fax No. 040 23001153

Toll Free No. 1800-345-4001

Request for change of address should
be submitted in the prescribed format
alongwith self attested copies of PAN Card
and address proof, such as attested copies of
Telephone Bill/Electricity bill as on a recent
date, Passport, Voter ID Card, Ration Card,
Driving License, Aadhar Card, 1st page of
Bank Passbook containing address etc.
Change of address format is enclosed to the
Annual Report.

**b) HOLDING OF SHARES IN
ELECTRONIC FORM**

In case of Beneficial owners holding shares in
Electronic Form i.e. through a Demat account,
the Bank will take into consideration only the
details like address, dividend mandate and
the particulars of the Bank, Branch and Bank
account number etc., available with their
Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE
THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE
THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS,
ETC., ARE DULY UPLOADED WITH
THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS
SO THAT THEY MAY RECEIVE
THE COMMUNICATION, ANNUAL
REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

**(xii) COMPULSORY TRADING OF SHARES
OF THE BANK IN DEMATERIALISED
(DEMAT) FORM**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading
of our Bank Shares in Dematerialized form has
been made compulsory for all investors with
effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with
National Securities Depository Ltd. (NSDL) and
Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)
as an issuer company for dematerialization of
Bank's shares.

बेकागजीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाएं।

- (xiii) **बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं**
हमारा बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:
1. बेकागजीकरण
 2. पुनः कागजीकरण
 3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
 4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान-ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोजिटरी।
 5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
 6. डीमैट खातों को जन्त करना/मुक्त करना
- डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं।

- (xiv) **फोलियो का समेकन**
एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयर धारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयरधारित राशि को एक ही शेयरधारित राशि के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

- (xv) **निवेशक संपर्क केन्द्र**
शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:
- कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय
2 क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूरु - 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत: syndinvest@syndicatebank.co.in

- (xvi) **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान**
कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के साथ पढ़े गए सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।
बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के मदों का कारोबार कर सकते हैं।

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

- (xiii) **DP SERVICES OFFERED BY THE BANK**
Our Bank provides following DP Services-
1. Dematerialization.
 2. Rematerialisation.
 3. Holding of securities in electronic form.
 4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
 5. Pledge/Unpledge of securities.
 6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.
- Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

- (xiv) **CONSOLIDATION OF FOLIOS**
Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

- (xv) **INVESTOR RELATIONS CENTRE**
In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance-
- The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

- (xvi) **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**
Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).
Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

बैंक ने कंपनी सचिव मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी को कंपनी द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न होने का पर्यवेक्षण करेंगे।

(xvii) **कट ऑफ तिथि**

बैंक ने ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए शेयरधारक के मतदान अधिकारों को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 16 जून 2017 को कट ऑफ तिथि के रूप में तय किया है।

(xviii) **रिमोट ई-मतदान के लिए अनुदेश**

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यू आर एल का प्रयोग करें:
कार्बी वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>
2. निर्धारित तिथि को भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले कंपनी के शेयरधारक, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं/डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।
4. ब्यौरों को समुचित रूप से प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
5. पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना होगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
6. आपको नए क्रेडेन्शियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेट बैंक का चयन करने का सुझाव देगा।
8. जिनके पास निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 16.06.2017 की स्थिति में शेयर हैं, वे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अपना मतदान कर सकते हैं।
9. पुष्टि करने के लिए 'ओ के' पर क्लिक करें अन्यथा

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

(xvii) **CUT-OFF DATE**

The Bank has fixed Friday, the 16th June 2017 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process.

(xviii) **INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING**

1. To use the following URL for e-voting: From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the AGM]. Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. Those holding shares as on the cut-off date i.e. 16.06.2017, can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to

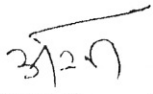
आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान मतदान में मतदान संपन्न होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

10. अनेक फोलियो/डीमेट खाते को रखनेवाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते के लिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें।
11. दि. 20.06.2017 के प्रातः 9 बजे से दि. 22.06.2017 के सायं 5 बजे तक मतदान के लिए पोर्टल खुला रहेगा।
12. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं. 1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

असाधारण आम बैठक के स्थान पर मतदान

रिमोट ई-वोटिंग के अलावा, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उनके लिए भी मतदान होगा। इस संबंध में घोषणा करने के तुरंत पश्चात मतदान आरंभ किया जाएगा और वोटों की संख्या, उनके द्वारा कट ऑफ तारीख यानि 16.06.2017 तक धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेट बैंक


(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2017

Place: Bengaluru

Date : 25.05.2017

modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.

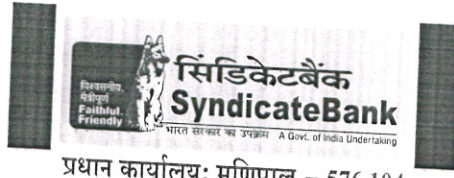
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
11. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 20.06.2017 to 5 p.m. on 22.06.2017.
12. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

VOTING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. 16.06.2017.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK


(Arun Shrivastava)
Managing Director and
Chief Executive Officer



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 23.06.2017

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। प्रवेश-पत्र-मतदान-पत्र पास अंश को शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए मतदान-पत्र पास को मतदान-पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्पित किया जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वारा पर डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतदान-पत्र पास जारी नहीं किया जाएगा।



ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 23rd June, 2017

Time : 10.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders/Proxy or Authorized Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/Representatives, who should retain till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum Entry Pass- will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104

प्रॉक्सी फार्म (शेयरधारक द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षर किए जाए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत हो)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
सिंडिकेट बैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की _____ को सिंडिकेट बैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में 23.06.2017 को पूर्वाह्न
10.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी
के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।
वर्ष 2017 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम :

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसके/उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- प्रॉक्सी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात्, 17.06.2017 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले कॉरपोरेट सूचना केन्द्र, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्थापित न हो।
- बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो, एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएँ।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- सिंडिकेट बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office : Manipal – 576 104

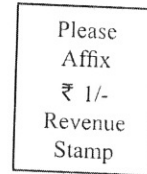
PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of Syndicate Bank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ OR failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of Syndicate Bank to be held on 23rd June, 2017 at 10.00 a.m. at Syndicate Bank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017.



Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Syndicate Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 17.06.2017.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.